न्यायालय–अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी	–	**नितिन ओजवानी (आर.जे.एस.) (यू.आई.डी आरजे 01538)**
सीआईएस नंबर	–	2228/2023
एफआईआर नंबर	–	209/2023
सी.एन.आर नंबर	–	RJAJ18–004343–2023

राजस्थान राज्य

बनाम

विकास भट पुत्र नेमीचंद भट, तत्समय उम्र 23 साल, निवासी देलवाडा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर, राज.।

– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 498 ए, 406 भा.द.स व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम

उपस्थित:–

1– अभियोजन अधिकारी – राज्य की ओर से।
2– **श्री सुरेन्द्र सिंह गुर्जर**, अधिवक्ता – अभियुक्त की ओर से।

–निर्णय– **दिनांक: 17–04–2026**

01– यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना किशनगढ़ द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी आरोप पत्र एफआईआर संख्या 209/2023 के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 406 भा.द.स व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज किया गया।

02– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मै प्रार्थिया सुंदर देवी उर्फ संध्या पर्वी थी विकास पुत्री श्री राधेश्याम मर उम्र 23 वर्ग निवासी ग्राम बरना पुलिस थाना किशनगढ़ जिला अजमेर की रहने वाली हूं। मेरा विवाह सामाजिक हिंदू रीति रिवाजानुनार दिनांक 08.05.2021 को विकास पुत्र नेमीचंद बालोटिया जाति रेगर निवासी ग्राम देलवाडा ब्यावर जिला अजमेर के साथ समपन्न हुआ था। मेरी शादी के समय ही मेरी बहिन रजनी का विवाह हुआ था। विवाह के समय ही मेरा गौना कर दिया गया था। मेरे पति के साथ रहकर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने से कोई संतान नहीं हुयी

है। विवाह के समय मेरे माता–पिता ने अपनी हैसियत से अधिक दान स्वरूप सामान, जैवरात इत्यादि देकर मुझे विदा किया था। मुझे मेरे माता–पिता ने विवाह में डबल बेड, आलमारी, ड्रेसिंग, प्लास्टिक कुर्सी 4, प्रेस, कूलर, फ्रीज, एलई डी, सिलाई मशीन, मिक्सर, सोफासेट, टी टेबल, बक्सा, लाईट चुल्हा एवं स्टील व पीतल के डबल बर्तन दिये थे। विवाह में बाटके में 21,000 रुपये तथा एक सोने की अंगूठी मेरे पति को 21,000 रुपये व सोने की अंगूठी 11,000 रूपये रंग पर व 11,000 रूपये कन्यादान के दिये थे। इसके अतिरिक्त मुझे जेवरात दिये जिनमें सोने की रखडी, जोधा वाली छोटी बही सोने की, सोने के टोप्स, सोने की आड, चांदी की पायल जोड़ी 2, चांदी की चूड़ीयां 4, चांदी की कनकती, चांदी की बिछुडिया जोड़ी तथा सोने की अंगूठी दी थी। विवाह के पश्चात मैं अपने ससुराल आने जाने लगी। ससुराल जाने के एक दो महीने तक तो मेरे पति सास ससुर ने मुझे ठीक से रखा तत्पश्चात् मेरा पति सास ससुर मुझे मेरी शादी में कम–दान दहेज देने के लिये हैरान व परेशान करने लग गये। मैं फिर भी उनके अत्याचार सहती रही। एक वर्ष पश्चात् मेरे पति विकास, सास सीता देवी, ससुर नेमीचन्द, देवर मनीष व ननद संजू सभी ने मुझसे दहेज की नाजायज मांग को लेकर परेशान किया। मेरे पति व ससुर ने मुझे अपने माता पिता से 2,00,000 रूपये व मोटर साईकिल लाकर देने की मांग करते हुए मुझे मारपीट कर उसने पीहर छोड़कर चला गया। मेरे माता पिता ने मेरे पति व ससुर को काफी समझाया परन्तु मेरे पति व ससुराल वाले लोभ, लालबी प्रवृति के होने से उन पर समझाईश का कोई असर नहीं हुआ। मैं लगभग 9 महीने तक अपने पीहर में ही रही इस दौरान मेरा पति मुझे लेने नहीं आया। तत्पश्चात् मेरे माता पिता व समाज बन्धुओं ने मेरे ससुराल समाचार भेजकर मेरे पति व ससुर को ग्राम बरना बुलाया व मुझे यहां से नहीं ले जाने का कारण पूछा तब मेरे पति व ससुर ने दहेज की मांग की दोहराया जिस पर मेरे परिजन व रिश्तेदारों ने मेरे पति व ससुर को भला बुरा कहते हुए ओलमा दिया व पुलिस थाना में कार्यवाही करने की बात कही जिसके डर से मेरा पति मुझे वापस अपने साथ लेकर गया। ससुराल जाने पर मेरे पति, सास ससुर का बर्ताव मेरे प्रति ठीक नहीं रहा, आये दिन मेरा पति अपने परिजनों के बहकावे में आकर मुझे टार्चर करता रहता। मेरे साथ दाम्पत्य सम्बन्ध नहीं बनाता तथा मोबाईल पर मेरे सामने दूसरी युवतियों में फोन व विडियो कॉल पर बातचीत करता रहता। मेरे मना करने पर भी नहीं मानता। मैने मेरे पति की उक्त हरकतों की शिकायत

अपने सास ससुर से की तव तब मेरे मास ससुर भी मुझे कहते कि तेरे माँ बाप ने इसको क्या दिया है ये तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का है नर्सिंग कर रहा है तुझ जैसी गंवार लड़की इसके किस काम की है। तूं अपने माँ बाप से कौनसा हमें पैसा व मोटर साईकिल लाकर दे रही है जो तुझे इस घर में आराम से रखे। मेरा पति घर पर अपनी गर्लफ्रेण्ड को बुलाकर मेरे सामने उनमें बातचीत करता, मेरी ननद भी पति की गर्लफ्रेण्ड को लेकर बाजार घुमाकर लाती व अपने कमरे में मेरे पति के साथ रखती। मैने अपने माँ बाप को मेरे पति की उक्त हरकतों के बारे में अवगत कराया तो मेरे माता पिता ने मेरे सास संसुर को ओलमा दिया तथा मेरे पति को समय को कहा तब मेरे सास ससुर मुझ पर और अत्याचार करने लग गये। मेरा देवर मुझे कहता कि मैं बिच्छु गेंग का सदस्य हैं तुझे उठवा दूँगा तेरा पता भी नहीं लगेगा। मेरी ननद भी अपने पीहर रहने के दौरान मुझे परेशान करती रहती। मैं अपनी घर गृहस्थी बचाने के चक्कर में इन लोगों के अत्याचार सहती रही .....इत्यादि।

03– उक्त प्रकरण को एफआईआर नंबर 209/2023 अंतर्गत धारा 498 ए व 406 भा.द.स में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अंतर्गत धारा 498 ए, 406 भा.द.स व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04– बहस आरोप सुनी जाकर उक्त अभियुक्त को उक्त धाराओं का आरोप चार्ज पृथक से विरचित कर, सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन व समझकर आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05– परिवादिया व अभियुक्त के द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर धारा 406 भादस में राजीनामा दिनांक 21.02–2026 को प्रार्थना पत्र की पुश्त पर ही तस्दीक किया गया। अतः यह निर्णय अभियुक्त के विरूद्ध केवल धारा 498 ए भा.द.स व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में निम्नानुसार किया जा रहा है।

06– अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए–

07– दस्तावेजी साक्ष्य:–

क्र.सं.	दस्तावेज विवरण	प्रदर्श
1.	तहरीर रिपोर्ट	प्रदर्श पी 1
2.	चाक एफआइआर	प्रदर्श पी 2
3.	फर्द सुपुर्दगी स्त्रीधन	प्रदर्श पी 3
4.	फर्द प्रार्थना पत्र	प्रदर्श पी 4

08– मौखिक साक्ष्य:–

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह संख्या
1.	संध्या	पी.डब्ल्यू 1
2.	राधेश्याम	पी.डब्ल्यू 2
3.	मनोहर देवी	पी.डब्ल्यू 3

09– बहस अंतिम सुनी गई। बहस के दौरान अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होने का तर्क दिया।

10– जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण की परिवादिया व परिवादिया के माता–पिता पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

11– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

"आया अभियुक्त द्वारा परिवादिया संध्या के साथ हुए विवाह के पश्चात् कम दहेज देने के लिए परेशान किया गया तथा परिवादिया द्वारा उक्त मांग बाबत् इन्कार करने पर परिवादिया को विभिन्न प्रकार से शारीरिक व मानसिक रूप से यातनाएं देकर प्रताडित किया गया तथा परिवादिया द्वारा स्त्रीधन मांगने पर उसे न लौटाकर बेईमानीपूर्वक आशय से स्वयं में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग किया गया ?"

यदि हॉ, तो उपरोक्त दंड क्या हो ?

12– प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित 3 गवाहों में प्रकरण की परिवादिया संध्या को गवाह पीडब्ल्यू 1 के रूप में न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है।

इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरा विवाह 08.05.2021 में को हिन्दू रिति रिवाज से विकास पुत्र श्री नेमीचंद के साथ सम्पन्न हुआ था। मेरे माता पिता ने अच्छे से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे पति व मेरे बीच वैचारिक मतभेद होने से छोटी मोटी घरेलू बातो को लेकर कहा सुनी हो जाती थी। इस कारण हम दोनो के बीच नहीं बनी। मेरे पति ने दहेज की मांग को लेकर मेरे साथ मारपीट नहीं की और ना ही किसी प्रकार से हैरान परेशान किया। प्रदर्श पी 01 तहरीर रिपोर्ट, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 02 चाक एफआइआर है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। प्र पी 03 फर्द सुपुर्दगी स्त्रीधन व प्र पी 04 फर्द प्रार्थना पत्र है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने के बाद गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किया है कि हमारा राजीनामा हो गया है। मै इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहती। मैने आवेश में आकर मेरे पति व मेरे पति के घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मेरे पति व मेरे पति के घरवालो ने कभी भी मुझे दहेज के मामले में ना ही प्रताडित किया ना ही मेरे साथ मारपीट की ना ही मुझसे दहेज की कोई मांग की गयी। प्रदर्श पी 01 तहरीर रिपोर्ट मे क्या क्या तथ्य अंकित है, मुझे नही पता। प्रदर्श पी 01 मैने टाईप नही करवायी थी और ना ही मुझे पढकर सुनायी गयी थी तथा मैने बिना पढे जल्दबाजी मे हस्ताक्षर कर दिये थें। पुलिस ने मेरे कोई बयान नही लियें एवं यह कथन किया कि यह कहना गलत है कि मेरा राजीनामा हो गया है इसलिए मै आरोपी को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रही हूं।

प्रकरण के अन्य गवाह पीडब्ल्यू 2 राधेश्याम परिवादिया के पिता व गवाह पी.डब्ल्यू 3 मनोहर देवी परिवादिया की माता ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि संध्या का विवाह साल 2021 में हिन्दृ रिति रिवाज से विकास भट के साथ सम्पन्न हुआ था। हमने अच्छे से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद संध्या के पति व उसके बीच वैचारिक मतभेद होने से छोटी मोटी घरेलृ बातो को लेकर कहा सुनी हो

जाती थी। इस कारण उन दोनो के बीच नहीं बनी। संध्या के पति ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट नहीं की। ना ही किसी प्रकार से हैरान परेशान किया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किये जाने के बाद गवाहों से जिरह किये जाने पर उक्त दोनों गवाहों ने कथन किया है कि सुंदर उर्फ संध्या व विकास का राजीनामा हो गया है। सुंदर उर्फ संध्या इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नही चाहती। उसने आवेश में आकर नवलकिशोर व उसके घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। विकास ने कभी भी सुंदर उर्फ संध्या से दहेज के मामले में ना ही प्रताडित किया ना ही उसके साथ मारपीट की ना ही उससे दहेज की कोई मांग की गयी। पुलिस ने हमारे कोई बयान नही लियें एवं कथन किया कि यह कहना गलत है कि हमारा राजीनामा हो गया है इसलिए हम आरोपी को बचाने के लिए झूठे बयान दे रहे हैं।

13– यहां प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से आयी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं होती है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त तीनो ही गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं किसी भी प्रकार से अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते हैं। प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 1 संध्या स्वयं अपने बयानों में उसके व उसके पति के बीच वैचारिक मतभेद होने से छोटी मोटी घरेलू बातों को लेकर कहा सुनी हो जाना व इस कारण से उन दोनों के बीच नहीं बनना व आवेश में आकर उसके पति व पति के घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिये जाने व उसके पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट नहीं किया जाना व ना ही किस प्रकार से हैरान परेशान किया जाना साफ जाहिर किया है। अब उसका व उसके पति का राजीखुशी व बिना किसी दबाव के राजीनामा हो गया है। वह अब राजीनामा हो जाने के कारण केस को खत्म करवाना चाहती है। प्रकरण के माता, पिता गवाह पीडब्ल्यू 2 राधेश्याम व गवाह पी.डब्ल्यू 3 मनोहर देवी ने भी न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में संध्या व उसके पति के बीच वैचारिक मतभेद होने से छोटी मोटी घरेलू बातो को लेकर कहा सुनी हो जाने के कारण उन दोनो के बीच नहीं बनना व संध्या के आवेश में आकर उसके पति व पति के घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिये जाने व संध्या के पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर मारपीट नहीं करना व ना ही किसी प्रकार से हैरान परेशान किया जाना बताया

है। संध्या व उसके पति के आपस में राजीखुशी व बिना किसी दबाव के राजीनामा होकर आपस मे मधुर संबंध कायम हो चुके हैं।

14– अतः अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498 ए भादस व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 498 ए भादस व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

– आदेश –

15– अतः अभियुक्त **विकास भट** पुत्र नेमीचंद भट, तत्समय उम्र 23 साल, निवासी देलवाडा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर, राज. को अपराध अंतर्गत धारा **498 ए भा.द.स व 4/6 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

16– अभियुक्त को धारा **406 भा.द.स** में **बरूवे राजीनामा पूर्व में दोषमुक्त** घोषित किया जा चुका है।

17– अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने बाबत् धारा 436 ए सी.आर.पी.सी के अंतर्गत 10,000/– रूपये जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का मुचलका निष्पादित करें। अभियुक्त आजाद रहे।

18– अभियुक्त के पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके रद्द किये जाते हैं। प्रकरण में यदि कोई मालखाना हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(नितिन ओजवानी)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर

19– निर्णय आज दिनांक 17–04–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नितिन ओजवानी)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर

GAURAV KUMAR GUPTA
steno gr III
"authenticated document"
Digitally signed by GAURAV KUMAR GUPTA
Date: 2026.04.17 12:16:17 +0000